

“डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर की नारी चेतना”

श्री.परशुराम शंकर कांबळे

सहायक प्राध्यापक

हिंदी विभाग

विलिंग्डन महाविद्यालय, सांगली.

सारांश : भारतीय नारी को जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी पर निर्भर करके रखा दिया। उसके सक्षम बनने के सभी दरवाजे बंद कर दिये। नारी को बाल्यावस्था में पिता पर, युवावस्था पति पर और वृद्धावस्था में पुत्र पर निर्भर कर दिया। उसे हर प्रकार से पराधीन रखने का प्रयास किया गया। पति के हर जुल्म सहने के बाद भी उसे तलाक लेनेका अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, पति चाहे शराबी हो, जुआरी हो, मार-पीट करता हो फिर भी जिस घर में ब्याह कर वह गई है, उसी से अर्थी उठने में नारी की भलाई जैसे प्रावधान बना कर नारी को सदा के लिये पंगु बना दिया। इस प्रकार को घातक व्यवस्थाओं ने देश और समाज को जो हानि पहुँचाई है वह किसी से छिपी नहीं है।

भारतीय नारी समाज को इस दयनीय स्थिति से उबारने के लिए समता, स्वतंत्रता एवं न्याय के प्रणेता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय नारी के उद्धारक के रूप में सामने आये और नारी में चेतना जगाने हेतु आजीवन संघर्ष करते रहे।

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर का स्त्री विषयक दृष्टिकोण :

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भगवान बुद्ध को अपना पहला गुरु मानते हैं, भगवान बुद्ध की करुणामयी मानवतावादी और समतावादी शिक्षा से वे बहुत प्रभावित थे। मानवतावादी संत कबीर को वे अपना दुसरा गुरु मानते हैं। शुद्र और नारी की समानता और सम्मान का अधिकार देने के लिए कबीर ने समाज को फटकारा है। उनके तिसरे गुरु महात्मा जोतीराव फुले ने नारी और दलितों के लिए समाज में क्रांतिकारी कार्य किए थे, वे क्रांतिकारी समाजासुधारक महात्मा फुले से प्रभावीत थे, उनके कार्य को आगे बढ़ाते हुए दलितों और नारी के उद्धार का संकल्प डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने लिया था।

कुंजी शब्द डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर की नारी चेतना

I. प्रस्तावना:

भारतीय नारी को जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी पर निर्भर करके रखा दिया। उसके सक्षम बनने के सभी दरवाजे बंद कर दिये। नारी को बाल्यावस्था में पिता पर, युवावस्था पति पर और वृद्धावस्था में पुत्र पर निर्भर कर दिया। उसे हर प्रकार से पराधीन रखने का प्रयास किया गया। पति के हर जुल्म सहने के बाद भी उसे तलाक लेनेका अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, पति चाहे शराबी हो, जुआरी हो, मार-पीट करता हो फिर भी जिस घर में ब्याह कर वह गई है, उसी से अर्थी उठने में नारी की भलाई जैसे प्रावधान बना कर नारी को सदा के लिये पंगु बना दिया। इस प्रकार को घातक व्यवस्थाओं ने देश और समाज को जो हानि पहुँचाई है वह किसी से छिपी नहीं है।

भारतीय नारी समाज को इस दयनीय स्थिति से उबारने के लिए समता, स्वतंत्रता एवं न्याय के प्रणेता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय नारी के उद्धारक के रूप में सामने आये और नारी में चेतना जगाने हेतु आजीवन संघर्ष करते रहे।

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर का स्त्री विषयक दृष्टिकोण :

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भगवान बुद्ध को अपना पहला गुरु मानते हैं, भगवान बुद्ध की करुणामयी मानवतावादी और समतावादी शिक्षा से वे बहुत प्रभावित थे। मानवतावादी संत कबीर को वे अपना दुसरा गुरु मानते हैं। शुद्र और नारी की समानता और सम्मान का अधिकार देने के लिए कबीर ने समाज को फटकारा है। उनके तिसरे गुरु महात्मा जोतीराव फुले ने नारी और दलितों के लिए समाज में क्रांतिकारी कार्य किए थे, वे क्रांतिकारी समाजासुधारक महात्मा फुले से प्रभावीत थे, उनके कार्य को आगे बढ़ाते हुए दलितों और नारी के उद्धार का संकल्प डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने लिया था।



18 जुलाई 1942 को नागपूर में पिछड़े दलित समाज की महिलाओं को उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि- किसी भी वर्ग की उन्नती का अनुमान उस वर्ग की महिलाओं की उन्नती का देखकर ही तो हो सकता है' ।¹

अपने गुरु महात्मा फुले की तरह स्त्री शिक्षा की शुरुआत रमाबाई को शिक्षित करके बाबासाहेब ने अपने घर से ही की। पत्र लिखकर, पढ़कर भोजने तक वे उन्हें सतत प्रोत्साहित करने रहे। पति की पसंद के मुताबिक रमाबाई ने लिखना- पढ़ना शुरू किया और वह परदेस में उन्हें पत्र लिख कर भी भेजने लगी।

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने अपनी दुसरी पत्नी सविता कबीर को पत्र में लिखा था कि, 'मैं स्त्री जाति उद्धार का समर्थक हूँ। मैंने स्त्री के स्थान को बढ़ाने के लिए पर्याप्त संघर्ष भी किया है, जिसका मुझे गर्व है।'²

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर का स्त्रियों में चेतना जगाने का कार्य :

स्त्री जाति का जितना भी तिरस्कार जो भारत के प्रत्येक कोने में फैला हुआ है, उसका शत-प्रतिशत जिम्मेदार मनु ही है। मनु को हिंदू नारी के पतन का पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए बाबासाहेब ने अपनी पुस्तक 'हिंदू नारी का उत्थान और पतन' में लिखा है, इसके विरोध में 25-26 दिसंबर 1927 के दिन महाड तालाब के किनारे हजारों अस्पृश्यों ने, उनकी स्त्रियों ने मनुस्मृति ग्रंथ का दहन किया।

महाड सत्याग्रह के प्रसंग में 26 दिसंबर 1927 को स्त्रियों की सभा में डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने का था कि- "आडंबरो और तुम्हें सदा गुलाम बनाए रखने की साजिशों का मुकाबला स्त्री और पुरुष दोनों को मिलकर करना होगा, स्त्रियां यह काम उत्तम ढंग से कर सकेंगी, यह मेरा विश्वास है। तुमने हम पुरुषों को जन्म दिया है, तुम्हारे पेट से जन्म लेना क्या गुनाह है। ब्राह्मणस्त्री के पेट से जन्म लेना पुण्य क्यों होना चाहिए? जितनी तुम शीलवान, पतिव्रता और धैर्यवाली हो, उतनी ब्राह्मण स्त्रीयां भी नहीं है। ऐसा होते हुए तुम्हारे बच्चों को इंसानियत के हक भी न मिलें? स्त्रियों को गृहलक्ष्मी ही क्यों होना चाहिए? इससे आगे उनकी पहुँच क्यों नहीं हो? ब्राह्मण स्त्री को जब बच्चा होता है तो उसका ध्यान जज की कुर्सी की तरफ जाता है, और अस्पृश्य स्त्री को जब बच्चा होता है तो यह कही झाड़ु वाले की जग खाली है क्या? इस तरह के विचार वह क्यों करती है? इसलिए ऊँची महत्वाकांक्षा रखा करो ज्ञान और विद्या पर केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है, यह स्त्रियों के लिए भी अतिआवश्यक है, यदि तुम्हें आगे की पुष्टि सुधारणी है तो तुम्हें लड़कों के साथ लड़कियों को भी शिक्षा देनी होगी, गले में इतरी वजनी मालाएं और हाथों में कोहनी तक चांदी के कड़े और कंगन, यह सब तुम्हें अस्पृश्य करके पहचाने जाने की निशानी है। इसलिए गले में एक हार ही बहुत है। साड़ी पहनो, उसे एक विशिष्ट तरीके से नहीं, औरों की तरह ही पहनो। घर में पति अगर मरे हुए जानवर का मांस लाए तो उससे कहो की, यह सब मेरे घर में नहीं चलेगा पुत्र हो तो ऐसा हो जिसका तीनों लोक में झंडा लहराए, ऐसी महत्वाकांक्षा लेकर जियो।"³

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर के इस स्फुर्तिदायक भाषण से स्त्रियों ने चेतना का निर्माण हुआ। दलित स्त्रियों ने साड़ी पहनने का तरीका सिख कर गले के वजनदार हार उतार दिये और अपने नेताके कहे नुसार चलने का निर्णय किया। महाड सत्याग्रह में डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर का आगे खड़े होकर नेतृत्व करने, व्यक्तित्व और उनकी संघर्ष वृत्ति, संघटन कौशल क्षमता व समाज के लिए उनकी तिलमिलाह व कुछ कर गुजारने के जज्बे को देखकर जनता ने उन्हें अपना नेता मान लिया।

II. येवला धर्मांतरण घोषणा :

नासिक का कालाराम मंदिर अस्पृश्यों के लिए खुलवाने के लिए 2 मार्च 1930 से 3 मार्च 1934 तक लगातार सत्याग्रह किया गया, उसमें स्त्रियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और नेतृत्व किया, इसमें एक-एक महीने का कारावास भी स्त्रियों ने भोगा। लेकिन इसके बावजूद भी सनातनी ब्राह्मणों के दिल नहीं पसीजे।

20 अक्टूबर 1935 को नासिक जिला के येवला गांव में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। 10 हजार लोगों की सभा में डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा "आज से नासिक कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह स्थगित किया जा रहा है, चातुर्वर्ण्य और विषमता हिंदू धर्म की देन है। पिछड़े लोगों को विकास में हिस्सेदारी न देना इस धर्म की नीति है। अपना हक लेने के लिए व सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, समता हासिल करने के लिए इस लड़ाई में अस्पृश्यों ने अपनी सारी ऊर्जा झोंक दी, परंतु सभी कुछ व्यर्थ गया। हिंदू होने के वजह से ही हम अस्पृश्यों को विवशता में अपमान का जीवन जीना पड़ रहा है। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि, मैं अगर हिंदू होकर जन्मा हूँ यह मेरे वंश की बात नहीं थी, किन्तु मैं हिंदू होकर कतई नहीं मरुंगा।"⁴



येवला धर्मांतरण घोषणा के बाद स्त्रियों में विलक्ष चेतना और परिवर्तन आया। स्वतंत्रतापूर्वक नारी संमेलन सभा परिषद आयोजित करने लगी और डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर की धर्मांतरण घोषणाओं का पुरेजोर से समर्थन करने लगीं।

सन 1936 पुरंदरे स्टेडियम में मुंबई इलाका महार परिषद में बोलते हुए भागीरथीबाई तांबे ने कहा – “तो धर्म हमे हमारे बंधू वर्ग की तरह समाज में स्वतंत्रता से आने- जाने देगा वहीं धर्म हमें स्वीकार होगा वैसे भी जिस धर्म में सत्य, प्रेम, समता और स्वातंत्र्य है, जिसमें शौर्य है पर क्रूरता नहीं हो, जिसे शिष्टता व योग्यता होगी और जो धर्म की रुढ़ी परंपराओं में बंधा न हो, ऐसे धर्म में डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हमें ले जाएँ”⁵

इस अवसर पर कुरमाबाई गायकवाड ने कहा- “जिन्होंने अस्पृश्य वर्ग को सच्चे हक दिलाने के लिए लगातार संघर्ष किया, उनके साथ हम भी धर्मांतर करेंगे, जिस धर्म में हमे वीर माता, वीर भगिनी, वीस पत्नी होने की पात्रता मिलेगी, वही धर्म डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हमें दिला दें। मैं डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर की धर्मांतरण की घोषणा का स्वागत करती हूँ”⁶

III. धर्मांतरण

13 अक्टूबर 1935 में येवला में धर्मांतरण की घोषणा करने के बाद लगातार 21 साल तक सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद आखिरकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को प्रज्ञा, शील, करुणा, समता, स्वातंत्र्य और बंधुता का उपदेश देनेवाले भगवान बुद्ध के मानवतावादी बुद्धधर्म को स्वीकार किया, यह धर्मांतरण स्त्रियों की दृष्टि में भारत के इतिहास में अभूतपूर्व घटना थी। धर्मांतर के बाद दलित स्त्री में मानसिक, सामाजिक, वैचारिक परिवर्तन हुआ। स्त्री की अस्मिता जागृत हो गई और वह सर ऊंचा करके समझदारी से संसार की ओर देखने लगी, हिंदू धर्म के देवी-देवता, अंधश्रद्धा, पुरानी रुढ़ियां, जात-पात, अनिष्ट प्रथा, परंपरा व्रत वैकल्प इन सब का उसने त्याग कर दिया और बौद्ध धम्म के पंचाशील ग्रहण करने के साथ २२ प्रतिज्ञाएं भी स्वीकार कीं, यह धर्म क्रांति सचमुच महान है। बौद्ध धम्म काय है, उसके उद्दिष्ट कौन से हैं? तत्व कौन से हैं? आदि जानने की जिज्ञासा से स्व-विश्वास से परिपूर्ण होकर आंबेडकर आंदोलन में कार्य करते हुए वह मनन और चिंतन करने लगे।

समाज प्रबोधन और धर्मप्रसार का ध्येय अपनाकर मुंबई की बस्तीयों में दो सौ के ऊपर नारी मंडलों की स्थापना हुई। भगवान बुद्ध के “अन्त दीपो भव,” यांनी स्वप्रकाशित होकर कार्य करो मेहनत करो, तो फल प्राप्त होगा। इस प्रकार का वह अचरण करने लगी और यह प्रक्रिया आज भी जारी है।

धर्मांतर के बाद की स्त्री लेखिका हो गई, साहित्य में व्यथा, वेदना लिखने लगी, आज तक उसके जीवन को कैद किया हुआ था। आंबेडकरी आंदोलन से वह जागृतावस्था को प्राप्त हुई राजनैतिक क्षेत्र में भी उसके पांव पड़ने लगे, स्त्रिया मंत्रिमंडळ में विविध पदों को विभूषित करने लगी, डॉक्टर, इंजिनियर, प्रोफेसर, ऑफिसर बनने लगी।

IV. हिंदू कोड बिल

1948 में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने केवल दलित स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त स्त्री जाति के लिए उनके अधिकार उन्नति और विकास के लिए अत्यंत परिश्रमपूर्वक हिंदू कोड बिल बनाकर संसद में पेश किया, इस अवसर पर उन्होंने कहा कि – “स्त्रियों की स्थिति सिर्फ ऊपर से उपदेश देकर नहीं सुधारने वाली, कानून में उसके लिए व्यवस्था भी करनी होगी”⁷

इस बिल की वजह से ही स्त्रियों को तलाक देने का अधिकार, तलाक मिलने पर गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार एक पत्नी होत हुए दूसरी शादी न करने का अधिकार गोद लेने का अधिकार, बाप-दादा की संपत्ति में हिस्से का अधिकार स्त्रियों को अपनी कमाई पर अधिकार लड़की को उत्तराधिकारी का अधिकार अंतरजातीय विवाह करने का अधिकार व अपना उत्तराधिकारी निश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण अधिकार मिलने वाले थे। परंतु हिंदू कोड बिल संसद में पास नहीं हो सका और इससे खिन्न होकर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अपनेपद से त्यागपत्र दे दिया।

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्त्री के समर्थक थे। केवल दलित स्त्री ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय स्त्रिया के उत्थान के लिए उन्होंने परिश्रम के साथ ‘हिंदू कोड बिल’ की रचना की थी। उन्हें अपने समय में हमेशा विरोध का और संघर्ष का सामना करना पड़ा। ‘हिंदू कोड बिल’ के लिए भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा।



‘हिंदू कोड बिल’ की अनेक धाराओं को आगे संविधान में स्वीकार किया गया। आज कानून की दृष्टि से नारी को जो सुविधाएँ मिली हैं, उसके पिछे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर का गहन चिंतन और मनन था उनका समस्त चिंतन भारतीय समाज को पुरानी जर्जर अवस्था से निकाल कर स्वस्थ समाज के रूप में ढालने का रहा है। उन्होंने नारी अधिकार और सम्मान के अनछुए उपेक्षित संदर्भ को अपने हाथों में लिया और नारी की गरिमा के साथ कानूनी अधिकार के साथ समाज में पुनःस्थापित किया। डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर दलितों और नारी का आत्मोद्धार चाहते थे। वे उनमें तेजस्विता, स्वाभिमान, स्वावलंबन और आत्मसम्मान जागृत करना चाहते थे। स्त्रियों को कानून के रूप में सम्पत्ति और तलाक के अधिकार दिलाए, साथ ही ‘प्रसव काल’ में छुट्टी के विशेष अधिकार दिलाए थे, क्योंकि वे मानते थे कि माता और बच्चे के स्वस्थ रहने में ही राष्ट्र का हित है। डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने भारतीय नारी की उन्नति के सभी द्वार खोली दिये हैं, सभी प्रकार के विधान बना दिये गये हैं, जिसके अनुसार सक्षम नागरी आत्म सम्मान का जीवन जी रही है। भारतीय नारी को यह भलीभांती समझ लेना चाहिए के साहस और संघर्ष करने से ही उसका उत्थान और मुक्ति संभव है, कायरता में उसकी दासता और पतन है। आज की शिक्षित एवं बुद्धिजीवी नारियों को पुरुषों से भी उच्च स्थान प्राप्त होने की परंपरावादी दुहाई देकर छलना आसान नहीं है। संस्कृति को सही अर्था में जीवित तभी रखा जा सकता है, जब संविधान के अनुसार समाज के आधे भाग को पूर्ण स्वतंत्रता एवं समानता के अवसर मिले। सदियों के उत्पीड़न की व्यथा झेल कर अब नारी इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि, वह देवी के रूप में नहीं, एक मानव की तरह जीना चाहती है और मानव की तरह जीने के अधिकार उसे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान में दे दिये हैं।

V. निष्कर्ष

- 1) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर के महाड आंदोलन से नारी में चेतना जागृती दिखायी देती है।
- 2) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर क धर्मांतरण घोषणा से नारी में चेतना जागृती दिखायी देती है।
- 3) हिंदू कोड बिल संसद में पास नहीं हो सका इससे खिन्न होकर अपने पद का त्यागपत्र दे दिया। डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर की इस कृति से दिखायी देता है कि वे नारी के उत्थान के लिए कितने संवेदनशील थे।
- 4) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने भारतीय नारी की उन्नति के सभी द्वार खोल दिये हैं। सभी प्रकार के विधान बना दिये गये हैं। जिसके अनुसार नारी आत्मसम्मान का जीवन जी रही है।

संदर्भ ग्रंथ –

- 1) हिंदू नारी का उत्थान और पतन - डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
- 2) दलित नारी एक विमर्श – संकलन डॉ.मंजू सुमन
- 3) फुले आंबेडकरी स्त्री चळवळ संकलन –मीनाक्षी मून

संदर्भ –

- 1) संदर्भ ग्रंथ -2 पान नं.6
- 2) संदर्भ ग्रंथ- 3 पान नं.171
- 3) संदर्भ ग्रंथ- 2 पान नं.148
- 4) संदर्भ ग्रंथ- 2 पान नं.151
- 5) संदर्भ ग्रंथ- 2 पान नं.151
- 6) संदर्भ ग्रंथ- 2 पान नं.151
- 7) संदर्भ ग्रंथ- 2 पान नं.154

